देखिये नियम 9(3)(4) तथा (6))

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली(जयपुर)

क्रमांक : राजस्व-II/2021/1434 दिनांक :- 18-10-2021

-:: संपरिवर्तन आदेश ::-

संतोष तकनीकि एवं शैक्षणिक विकास समिति फतेहपुरा कलां जरिये अध्यक्ष संतोष पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति यादव निवासी फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भुमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 (द्वितीय संशोधन-2016) के नियम 9 के अधीन अकृर्षि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गयी है:-

1.	आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पुरा पता		:	संतोष तकनीकि एवं शैक्षणिक विकास समिति फतेहपुरा कलां जरिये अध्यक्ष संतोष पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति यादव निवासी फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है		:	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :-			
	क	ग्राम/पंचायत/तहसील का नाम	:	ग्राम फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
	ख	भूमि का खसरा नंबर और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (हैक्टर में)	:	ग्राम फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर स्थित खसरा नं0 275 रकबा 0.23 हैक्ट0
	ग	संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टयर एवं वर्गमीटर में)	:	खसरा नं0 275/0.23 है0 में से सम्पर्ण यानि 2300 वर्गमीटर भूमि संपरिवर्तन की गई।
	टिप्पणी			
	अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसगंत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।		:	हाँ
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन		:	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण
5.	संदेय प्रिमियम की दर		:	11.08/- प्रति वर्गमीटर
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम		:	अन्तर राशि GRN 54002754 दिनांक 28.09.2021 राशि 11330/- कुल राशि 11330/- राजकोष मे जमा करवाई गई।
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शस्ति यादि कोई हो, जमा कराई गई रकम		:	नही
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम		:	नहीं
9.	क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।		:	नहीं
10.	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो		:	पूर्व में तहसीलदार कोटपूतली से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने पर वर्तमान में रूपान्तरण की किस्म परिवर्तन पर अन्तर राशि जमा की गई।

डॉ. टी. शुभमंगला
उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

CamScanner

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

14. उपरोक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
15. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
16. इंडियन रोड कांग्रेस से प्रभावित भूमि मे कोई निर्माण कार्य नही किया जावेगा तथा संपरिवर्तित भूमि का उपयोग/निर्माण भी इस संबंध मे लागू आई0आर0सी0 व एन0एच0ए0आई0 के नियमों/प्रावधानो व गाईडलाईन अनुसार ही किया जावेगा।
17. नियम–4 मे यथा– वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
18. राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर एन.एच.ए.आई से तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़को से रास्ता चाहने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
19. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहा से सपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार सड़क हेतु छोडी गई भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
20. निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उपविधियों के अनुसार निर्धारित सैटबेक छोड़ते हुए निर्माण कार्य कराया जावेगा।
21. आवेदक संपरिवर्तित भूमि के निर्माण/उपयोग से पूर्व आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे विहित प्राधिकारी को बिल्डिंग प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। बिल्डिंग प्लान अनुमोदन के पश्चात ही संपरिवर्तित भूमि का उपयोग/निर्माण अनुमोदित प्लान के अनुसार किया जावेगा।
22. रूपांन्तरित भूमि से संबंधित यदि किसी प्रकार की देयता निर्धारित की जाती है तो देय राशि भूमिधारक/आवेदक को तत्काल जमा करानी होगी, अन्यथा नियमानुसार वसूली की जा सकेगी।
23. राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प. 6 (6) राज–6/92 पार्ट/21 दिनांक 27–06–2007 एवं कमांक प. 6 (6) राज–6/92 पार्ट/23 दिनांक 17–07–2007 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।
24. आवेदित भूमि में से यदि पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15–5–08 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
25. राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं इस संबंध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्ते लागू होगी।
26. प्रदूषण नही फैलाया जायेगा तथा पर्यावरण संबंधी समस्त नियमो, कानूनो, निर्देशो इत्यादि की पालना की जावेगी।

विहित प्राधिकारी मुहर

(डॉ. डी.शुभमंगला)
उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

कमांक : राजस्व–II/2020/1435-39 दिनांक :– 18-10-2021

प्रतिलिपि:–

05. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर।
06. तहसीलदार कोटपूतली/उप पजीयक कोटपूतली।
07. संतोष तकनीकि एवं शैक्षणिक विकास समिति फतेहपुरा कलां जरिये अध्यक्ष संतोष पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति यादव निवासी फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली
08. कार्यालय प्रति।

(डॉ. डी.शुभमंगला)
उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

CamScanner